(राजस्थान सरकार)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–   सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–149/2011   **जीसीएमएस नम्बर :– 2011/00059**

विजयपाल पुत्र श्री घीसाराम जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना जिला झुंझनूं

..........वादी

बनाम

1. प्यारेलाल पुत्र घीसाराम
2. रणधीर पुत्र घीसाराम
3. संतोष पत्नी ओमप्रकाश
4. श्रीराम पुत्र श्योकरण
5. ओमप्रकाश पुत्र मंगलाराम
6. रमेश कुमार पुत्र हरिसिंह
7. हरिसिंह पुत्र फताराम
8. गणेशा पुत्र जीसुख
9. रामसिंह पुत्र जालूराम

(1 से 9) समस्त जाति अहीर निवासी झांझा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान

10. रामकोर पुत्री जालूराम पत्नी सोहनलाल
11. भानी पुत्री जालूराम पत्नी रतीराम
12. बसन्ती पुत्री जालूराम पत्नी सुरजभान

(10 से 12) समस्त जाति अहीर निवासी घसेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान

13. सारली पुत्री जालूराम पत्नी शंकरराम जाति अहीर निवासी कलगांव तहसील बुहाना
14. राजस्थान ग्रमीण बैंक शाखा बुहाना
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान

.......प्रतिवादीगण

वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–   **दिनांकः– 09.12.2022**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:33 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि [illegible] 908 का [illegible] 1326/1 रकबा 0[illegible] के खातेदार वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 1/2, 1/2 हिस्से के रिकॉर्डेड [illegible] सम्वत् 2066 लगायत 2069 में दर्ज है।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि ग्राम बुहाना स्थित बुहाना स्थित भूमि खाता सं. 208 का ख.न. 1326/5 रकबा 0.69 हैक्टर के खातेदार वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 बराबर हिस्सा में जमाबंदी सम्वत् 2066 लगायत 2069 में दर्ज है।

3. यह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि खाता सं. 206 का ख.न. 1319 रकबा 1.81 है. के खातेदारी वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 1/2 हिस्सा यानि प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 3 का 1/2 हिस्सा जमाबंदी सम्वत् 2066 लगायत 2069 में दर्ज है।

4. यह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि खाता सं. 989 के ख.न. 1365 रकबा 2.70 है., ख.न. 1366 रकबा 2.37 हैक्टर के खातेदार वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/2 यानि प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 4 का 1/2 हिस्सा जमाबंदी सम्वत् 2066 लगायत 2069 में दर्ज है।

5. यह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि खाता सं. 732 के ख.न. 1389 रकबा 1.28 है., ख.न. 1390 रकबा 1.71 है., ख.न. 1387 रकबा 0.50 है., ख.न. 1388 रकबा 1.12 है., कुल किता 4 कुल रकबा 4.61 है., के खातेदार वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 5 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 का 0.65 है., प्रतिवादी सं. 7 का 0.21 है., प्रतिवादी सं. 8 का 0.29 है., दर हिस्सा 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 9 लगायत 13 के पूर्वाधिकारी जालूराम पुत्र जिसुखराम का 1/4 हिस्सा जमाबंदी सम्वत् 2066 लगायत 2069 है।

6. यह कि वादपत्र में वर्णित भूमि जो वादी व प्रतिवादी सं. 1 की खरीदशुदा है के अतिरिक्त समस्त भूमि का वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता स्व. घीसाराम ने अन्य खातेदारों से बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त चला आ रहा था तथा उसके स्थान पर अब वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त रूप से उनके हिस्से पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

7. यह कि प्रतिवादी सं. 1 बेईमानी प्रकृति का व्यक्ति है। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 22.06.2011 को खाता सं. 208 का ख.न. 1326/5 रकबा 0.69 है. व खाता सं. 206 ख.न. 1319 रकबा 1.81 है. जो ग्राम झांझा के आबादी के नजदीक लगते है को सम्पूर्ण को काश्त कर दिया। वादी ने मना किया तो प्रतिवादी नं. 1 ने बन्दुक दिखाते हुये कहा कि उक्त दोनों खेत में अकेला ही काश्त करूंगा तुम्हें इन दोनों खसरा नम्बारों में हिस्सा नहीं दुंगा। जिस पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हुआ। जिसमें प्रतिवादी सं.1 को धारा 151 जा.फो. के तहत गिरफदार कर कार्यपालक मजिस्ट्रेट बुहाना के यहां पेश किया उक्त घटना के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 अहलानिया धमकी देता है कि ख.न. 1326/5 [illegible] को मैं अकेला ही काश्त करूंगा वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 [illegible] वर्णित भूमि में अच्छी में अच्छी तथा बुरी में बुरी के अनुसार बंटवारा [illegible]लने का अधिकारी है तथा इसी आधार पर अपना खाता विभ[illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:33 IST
Reason: SelfAttested

8. यह कि दावे के लिये आधार विवाद प्रतिवादी सं. 1 द्वारा दिनांक 22.06.2011 को आबादी के नजदीक वाले खेत ख.न. 1326/5 व 1319 में वादी के हिस्से पर

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

जबरन काश्त करने तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 151 जा.फो. में पाबन्द करने के बावजूद उक्त दोनों ख.न. पर जबरन अकेला ही कब्जा करने की धमकी देने से पैदा हुआ।

9. यह कि यदि प्रतिवादी सं. 1 उक्त विवादित भूमि पर अकेला कब्जा कर लेता है व वादी को उसके हिस्से की भूमि काश्त नहीं करने देता है व वादी के कब्जे काश्त व हिस्से में दखलादांजी करता है तो वादी को ऐसी अपूर्तनिय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिये वादी को यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवाये कि वह अकेला उक्त दोनों खसरा नम्बरों पर कब्जा न करे व वादी के कब्जे काश्त में दखलादांजी ना करें। इसलिए यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी द्वार अनुतोष चाहा गया कि:–

क. कि प्रतिवादी सं. 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वह ग्राम बुहाना स्थित भूमि ख.न. 1326/5 रकबा 0.69 है. व ख.न. 1319 रकबा 1.01 है. में वादी के हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में दखल नहीं करें तथा वादी को काश्त करने से नही रोके। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें व ना ही अपने परिजनों से करावें।

ख. कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि खाता सं. 908 का ख.न. 1326/1 रकबा 0.56 है., खाता सं. 208 का ख.न. 1326/5 रकबा 0.69 है., खाता सं. 206 का ख.न. 1319 रकबा 1.81 है., खाता सं. 289 के ख.न. 1365 रकबा 2.70 है., ख.न. 1366 रकबा 2.37 है., तथा खाता सं. 732 के ख.न. 1389 रकबा 1.28 है., ख.न. 1390 रकबा 1.71 है., ख.न. 1387 रकबा 0.50 है., ख.न. रकबा 1388 रकबा 1.12 है., में वादी के हिस्से की भूमि का अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से बंटवारा करते हुये खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अलग से कायम किया जावे।

ग. कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे तथा खर्चा दावा दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से सत्यवीर गजराम, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से विक्रम सिंह एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 4 की ओर से विरेन्द्र यादव एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 2 की ओर से कुलदीप सिंह ऐडवाकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 8 की ओर से राजेश यादव एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 का जबाव रहा कि:–

1. यह कि वादपत्र का खण्ड न. 4 जिस तरह से ख.न. 13645 रकबा 2.70 है. व ख.न. 1366 रकबा 2.37 है. में प्रतिवादी का जिस तरह से हिस्सा बताया गया है

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

स्वीकार नहीं है। क्योंकि ख.न. 1365 रकबा 2.70 है., ख.न. 1366 रकबा 2.37 है. में प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 2 का हि. 1/2 बताया गया है जो गलत है जबकि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का हिस्सा 1/12, 1/12 है प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा नहीं बताया गया है। उनका हिस्सा बताना आवश्यक है।

2. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 5 स्वीकार है क्योंकि वाद पत्र के खण्ड नं. 5 के खाता सं. 732 के ख.न.. 1387, 1388, 1389, 1390 के प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 1/4 वादीगण बताकर आ रहा है जो गलत है। जबकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 1/12, 1/12 बनता है। इसलिए ख.न. 5 स्वीकार नहीं है।

3. पिता घासीराम ने बंटवारे में ख.न. 1365, 1366 वादी व प्रतिवादी सं. 2 को बाहमी बंटवारे में दे रखा है। उक्त बाहमी बंटवारे के अनुसार ही वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 कब्जे काश्त करते आ रहे हैं।

अतिरिक्त उत्तर– यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम बुहाना रेवेन्यु में स्थित है। वादी द्वारा सम्पूर्ण भूमि वादी व प्रतिवादी की भी संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका ख. न. 13 26/2 उक्त वाद में हवाला नहीं दिया गया है जिसके खाता न. 207 रकबा 0.05 है., ख.न 1326/4 रकबा 0.09 है. जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2, व 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। इन ख.नम्बरानों को शामिल करते हुए खाता विभाजन किया जावे। यह कि प्रतिवादी सं. 1 का कब्जा काश्त बाहमी बंटवारे अनुसार खाता नम्बर 206 ख.न. 1319 रकबा 1.81 है. व खाता नं. 208 खसरा नम्बर 1326/5 रकबा 0.69 है. चला आ रहा है और इसी अनुसार खाता विभाजन किया जावे।

दस्तावेज में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी पेश किये गए।

खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। न्यायालय वाद वादीगण विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 14–03–2015 को किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 29–06–2015 को प्राप्त हुई ।

दिनांक 29–06–2015 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। आपत्ति पर प्रतिवादी ने जबाव प्रस्तुत किया गया। आपत्ति स्वीकार कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार के पत्र क्रमांक 1038 दिनांक 26–04–2022 से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी की ओर से आपत्ति पेश की गई। आपत्ति पर वादी द्वारा जबाब पेश किया गया। आपत्ति पर उभय पक्षकरान को सुना गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकरान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में दो बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये दोनो बार ही वादी एवं प्रतिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। चूंकि प्रकरण खाता विभाजन का है तथा खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

विभाजन कास्तकार का कास्तकारी अधिकार है। विभाजन प्रस्ताव मौके कब्जे व राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार प्राप्त हुये है। तहसीलदार बुहाना द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। किन्तु वादी प्रकरण में देराने करने की नियत से बार –बार आपत्ति प्रस्तुत की जा रही है। वादी की आपत्ति दिनांक 22–07–2022 सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद को तहसीलदार बुहाना के पत्र 1038 दिनांक 26–04–2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 18–08–2022 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना के ख.न. 1326/1, 1326/5, 1319, 1365, 1366, 1389, 1390, 1387, 1388 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक 1038 दिनांक 26–04–2022 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 09–12–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:33 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–149 / 2011 **जीसीएमएस नम्बर :– 2011 / 00059**

दिनांकः– 09–12–2022

विजयपाल **बनाम** प्यारेलाल

वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः–

वादी वकील श्री राजेन्द्र यादव एवं प्रतिवादी वकील कुलदीप सिंह कुलहार, राजेश यादव, विरेन्द्र यादव, विक्रम सिंह यादव, सत्यवीर गजराज की उपस्थिति में आज तारीख 09–12–2022 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना के ख.न. 1326 / 1, 1326 / 5, 1319, 1365, 1366, 1389, 1390, 1387, 1388 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना के पत्र क्रमांक 1038 दिनांक 26–04–2022 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 09–12–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:44:33 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, बुहाना